UPBJ010065292023

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP02408

चुनाव याचिका संख्याः– 07/2023
निधि वर्मा बनाम पर्णिता आदि

<u>08–12–2023</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

उत्तरदाता सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उत्तरदाता सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं0 ग–30 प्रस्तुत किया गया।

उत्तरदाता सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र ग–30 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पेटीशन हाजा विरूद्ध रैस्पो0 बाबत निरस्त किये जाने चुनाव दिनांकित 13–05–2023 जिसके द्वारा प्रार्थिनी वार्ड सं0 17 नगर पालिका परिषद बिजनौर की सभासद चुनी गयी, लम्बित है। पेटीशनर का कोई नोटिस अथवा समन प्रार्थिनी का प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही प्रार्थिनी द्वारा किसी नोटिस अथवा समन को लेने से इन्कार किया गया। दिनांक 06–12–2023 को अतुल अहलावत जो जजी कम्पाउन्ड बिजनौर में स्टाम्प वेन्डर का कार्य करते है, ने प्रार्थिनी को बताया कि उन्हे जजी में जानकारी मिली है कि प्रार्थिनी के विरूद्ध कोई इलेक्शन पेटीशन लम्बित है। इस पर प्रार्थिनी को अत्यन्त ताज्जुब हुआ क्योकि प्रार्थिनी को कोई सम्मन अथवा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थनी ने दिनांक 07–12–2023 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया और पत्रावली तलाश का मुआयना डलवाया, मुआयना कराने पर पता चला कि पेटीशनर द्वारा न्यायालय को मुगालते में रखकर प्रार्थिनी पर सम्मन की तामील इन्कारी दिखलाकर दिनांक 30–08–2023 को प्रार्थनी पर सम्मन की तामील न्यायालय द्वारा पर्याप्त मानी गयी। जबकि प्रार्थिनी को न तो सम्मन किसी व्यक्ति द्वारा, पोस्टमैन द्वारा टैन्डर किया गया न ही प्रार्थिनी ने किसी नोटिस को लेने से इन्कार किया। मुआयने के समय ऐसा सम्मन जिस पर इन्कारी का इन्द्राज हो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। आदेश दिनांकित 03–08–2023 से प्रार्थनी पर तामील पर्याप्त मानकर उक्त वाद दिनांक 31–10–2023 को प्रार्थिनी व अन्य रैस्पोन्डेन्टस के विरूद्ध इकतरफा प्रोसीड कर दिया गया। जिससे प्रार्थिनी की सख्त हकतलफी व हानि है। प्रार्थिनी नेक नियती से पेटीशन कन्टैस्ट करना चाहती है। प्रार्थनी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। प्रार्थिनी की अनुपस्थिति का एक मात्र कारण प्रार्थिनी को कोई सम्मन प्राप्त न होना रहा है। याचना की गयी है कि पेटीशन हाजा में पारित आदेश दिनांक

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2023.12.08 15:12:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

31–10–2023 रिकाल/निरस्त किया जाकर प्रार्थिनी को पेटीशन में भाग लेने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाये।

पेटीशनर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र ग–30 का विरोध करते हुये लिखित आपत्ति हेतु समय प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत चुनाव याचिका, नगर पालिका परिषद बिजनौर के वार्ड सदस्यो को निर्वाचित किये जाने के लिये हुए निर्वाचन दिनांकित 04–05–2023 एवं मतगणना व परिणाम दिनांकित 13–05–2023 में वार्ड नं0. 17 नगर पालिका परिषद से उत्तरदाता सं0 2 पर्णिता को विजयी घोषित किये जाने पर याची निधि वर्मा द्वारा दिनांक 31–05–2023 को योजित की गयी है। न्यायालय आदेश दिनांकित 03–08–2023 के द्वारा उत्तरदाता सं0 1 पर सम्मन की तामील पर्याप्त मानी गयी। जिसके उपरान्त उत्तरदाता सं0 1 के न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय आदेश दिनांकित 31–10–2023 के द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका की कार्यवाही उत्तरदातागण के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

उत्तरदाता सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं0 ग–30 प्रस्तुत किया गया तथा उस पर किसी सम्मन या नोटिस के टैन्डर न होने का कथन करते हुये प्रस्तुत चुनाव याचिका के न्यायालय में लम्बित होने की जानकारी न होने का कथन किया गया है। यह भी कथन किया गया है कि उसे प्रस्तुत चुनाव याचिका के न्यायालय में लम्बित होने की जानकारी दिनांक 06–12–2023 को हुई जिसके पश्चात अविलम्ब दिनांक 07–12–2023 को ही उत्तरदाता सं0 1 द्वारा पत्रावली का मुआयना कराकर दिनांक 08–12–2023 को प्रार्थना पत्र कागज सं0 ग–30 न्यायालय आदेश दिनांकित 31–10–2023 को रिकाल/निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। चूंकि विधि का सिद्धान्त है कि मामले का निस्तारण उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिये। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र ग–30 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग–30 हर्जा 500/–रूपये पर स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31–10–2023 रिकाल किया जाता है। विपक्षी सं0 1 को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब पेटीशन में नियत अग्रिम तिथि तक हर्जा अदा करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 09–01–2024 को पेश हो।

(हनी गोयल)
दिनांकः– 08–12–2023 अपर जिला जज, कोर्ट नं0–3,
बिजनौर।